चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 28.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 28.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस टीम द्वारा सी-प्लान एप्प की मदद से मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि कल आज दिनांक 26.02.24 को उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना सरधुवा तथा आरक्षी नरेन्द्र कुशावाहा को ग्राम सुखौरा मजरा भदेदू मे एक मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया था, जिसको थाना सरधुवा ले जाया गया। थाना पुलिस द्वारा सी-प्लान एप्प के माध्यम से विक्षिप्त व्यक्ति के बताने के आधार पर ग्राम प्रधान के मोबाइल नं0 पर फोन कर विक्षिप्त व्यक्ति के घरवालो को सूचना दी गयी जो कि दिनांक 27.02.2024 को विक्षिप्त व्यक्ति का पुत्र साहिल पुत्र गुड्डू निवासी सरेहुआ आराजी पोस्ट बथावर थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उ0प्र0 तथा उनके साथी इबरान पुत्र हनीफ निवासी उपरोक्त के साथ थाना सरधुवा आये जिन्हें विक्षिप्त व्यक्ति गुड्डू पुत्र रहीम निवासी सरेहुआ आराजी पोस्ट बथावर थाना सकलडीहा

जिला चन्दौली उ0प्र0 को सकुशल सुपुर्द किया गया। पिता को पाकर बेटे के चेहरे पर लौटी मुस्कान एवं पुलिस की सक्रियता के लिये पुलिस का धन्यवाद प्रकट किया।

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना सरधुवा
2. आरक्षी नरेन्द्र कुशवाहा

(4). आज दिनाँक 28.02.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में एस चेकटीम ,डॉग स्क्वायड,एलआईयू टीम द्वारा न्यायालय परिसर में सुरक्षा सर्तकता के दृष्टिगत संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 33 क्वार्टर देशी व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(क). उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राजकुमार निषाद पुत्र शिवमूरत निवासी मटियारा मजरा ढ़ढ़वार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के लाथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त सुनील गुप्ता पुत्र शिवप्रसाद गुप्ता निवासी मणिकुंज तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(ग). उ0नि0 श्री दृगपाल सिंह थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त शिवकुमार कोल पुत्र कुल्ली निवासी कोल कालौनी केहुनियां थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी चुनान के दृष्टिगत अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. प्रशांत उर्फ पिन्टू 2. प्रिंसु उर्फ विक्रम सिंह 3. हंसा उर्फ विपिन सिंह 4. दीपक सिंह पुत्रगण संजीत सिंह निवासीगण गढ़चपा थाना मानिकपुर 5. अंकित द्विवेदी पुत्र राजेश कुमार निवासी सरैंया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धआरा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(7). आज दिनांक 28.02.2024 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस लाइन्स में साइबर क्राइम थाना का वर्चुअली लोकार्पण तथा थाना कोतवाली कर्वी,थाना पहाड़ी, थाना राजापुर, थाना रैपुरा, थाना मऊ एवं थाना बरगढ़ में मेडिकल-कक्ष वर्चुअली शिलान्यास किया गया।

इस दौरान पुलिस लाइन्स स्थित साइबर थाने में आयोजित इस समारोह में माननीय सांसद बांदा-चित्रकूट श्री आर0के0 पटेल, माननीय विधायक मऊ-मानिकपुर श्री अविनाशचन्द्र द्विवेदी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव, कोपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री लवकुश चतुर्वेदी आदि जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके साथ-साथ लोकार्पण के समय जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री अर्जुन सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप पाल सहित सैकडों गणमान्य नागरिकों एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण ने उपस्थित रहकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचारों से लाभान्वित हुये।

साइबर क्राइम थाने का लोकार्पण होने से आमजनमानस को साइबर सम्बन्धी अपराधों के निस्तारण करने में मदद मिलेगी तथा साइबर सम्बन्धी मुकदमों की विवेचना इसी थानें के माध्यम से की जायेगी।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार

आरक्षी महेश्वरीदीन तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2023 धारा 376(3) भादवि0 व 4(2) पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त सुनील मिश्रा उर्फ अरुण मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा निवासी ग्राम बरहा कोटरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 14.06.2023 को वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अभियुक्त सुनील मिश्रा उर्फ अरुण मिश्रा उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 150/2023 धारा 376(3) भादवि0 व 4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना निरीक्षक अपराध श्री अभयराज सिंह द्वारा की गयी विवेचक द्वारा दिनाँक 11.07.2023 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). आज दिनांक 28.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के व्यापारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापारी बंधुओं से उनकी समस्याएं पूछी गई एवं उनके पूर्ण समाधान हेतु सभी को आश्वस्त किया गया। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी से अपील की गयी कि अपनी-अपनी दुकानों, मकानों एवं प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवायें जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उसकी संपूर्ण जानकारी कैमरे में कैद हो सके।

(10). आज दिनांक 28.02.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा थाना पहाड़ी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदया द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, मालखाना, बंदीग्रह, थानाध्यक्ष कार्यालय, बैरिक, मैस का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल को साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। महोदया द्वारा थाने के रजिस्टरों को अद्यावधिक करने हेतु एवं थाने पर मुकदमों से सम्बन्धित माल को निस्तारण करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0 डि0)/एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 470/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त संजीव सिंह पुत्र कुलपति सिंह निवासी सरधुवा थाना राजापुर (वर्तमान थाना सरधुवा) को 500 रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(12). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0)/एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2014 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राममिलन सोनकर पुत्र स्व0 संतलाल सोनकर निवासी मुहल्ला शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 500 रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(13). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.10.2023 को वादिया श्रीमती राजरानी पत्नी ब्रजकिशोर रैदास निवासी नादिनकुर्मियां थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर में सूचना दी कि अज्ञात चोर ने उनके घर में घुसकर उनके ₹40000 व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं, सूचना के आधार पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 236/2023 धारा 457,380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना एवं घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह को लगाया गया। उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी लेवहटा मजरा अर्जुनपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को चोरी के 2850/- रुपये, 01 जोड़ी झुमके पीली धातु, 02 अदद माला पीली धातु, 03 अदद लेडीज अंगूठी सफेद धातु, 06 अदद बिछुवा सफेद धातु के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी की गई।

<u>बरामदगीः-</u>

1.चोरी के 2850/- रुपये
2.01 जोड़ी झुमके पीली धातु
3.02 अदद माला पीली धातु
4.03 अदद लेडीज अंगूठी सफेद धातु
5.06 अदद बिछुवा सफेद धातु

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री के.डी. मिश्रा
3. आरक्षी उज्जवल पांडेय
4. आरक्षी बुद्धसेन विक्रम